

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 27.04.2024 के विनिश्चय (निर्णय) :-

दिनांक 27.04.2024 को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के मा० कुलपति महोदय की उपस्थिति में संपन्न भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति की बैठक में निम्न द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

01. श्री अयाज अहमद, अध्यक्ष, भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति (सेवानिवृत्त इंजीनियर इन चीफ, लोक निर्माण विभाग) देहरादून।
02. प्रो० संजय गैरोला, सदस्य, भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि० (इलेक्ट्रीकल इंजी० विभाग, जी०बी०पी०ई०सी०) पौडी।
03. श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक एवं सदस्य भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
04. प्रो० सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।

उक्त बैठक में समिति के दो सदस्य क्रमशः प्रो० ज्योति प्रसाद एवं प्रो०पी०सी०गोप द्वारा अपरिहार्य कारणों से प्रतिभाग नहीं किया जा सका।  
बैठक में चर्चा उपरांत निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये :-


क्रमांक	एजेण्डा बिन्दु	भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति का निर्णय
01	विश्वविद्यालय निधि से ₹ 983.31 लाख की लागत से निर्माणाधीन एकेडमिक भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा।	समिति द्वारा निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी मासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति के अवलोकन के उपरांत इस तथ्य को संज्ञान में लिया गया कि कार्यदायी संस्था के साथ निष्पादित एम०ओ०यू० अनुसार माह मार्च, 2024 तक 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जानी निर्णित थी किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 24.04.2024 तक केवल 15 प्रतिशत भौतिक प्रगति ही की गयी है जो निर्धारित प्रगति से 10 प्रतिशत कम है। इससे यह प्रतीत होता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा समुचित गति से निर्माण कार्य को नहीं कराया जा रहा है एवं निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस क्रम में कार्यदायी संस्था को एम०ओ०यू० के बिन्दु संख्या 14 के अनुसार निर्धारित गति से भौतिक प्रगति न करने पर क्यों न 0.1 प्रतिशत की दर से कटौती किये जाने हेतु एक नोटिस पत्र प्रेषित कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। साथ ही निर्णय लिया गया कि एम०ओ०यू० के बिन्दु संख्या 10 एवं 12 की अनुपालन आख्या भी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से


निर्दिष्ट प्राविधानानुसार नियमित रूप से प्रेषित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाये।

भविष्य में इस समिति की आयोजित होने वाली बैठकों में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को अनिवार्य रूप से सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।


बैठक समाप्ति उपरांत भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति द्वारा निर्माणाधीन एकेडमिक भवन के कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया तथा कार्यदायी संस्था से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया :-

01. कार्यस्थल पर बनाये जा रहे कंक्रीट मिक्स में Water Cement Ratio निर्धारित मात्रा अनुसार ही प्रयोग मे लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही मौके से निर्मित कंक्रीट मिक्स के 02 क्यूब भरकर उसकी जाँच कराये जाने हेतु महिला प्रौद्योगिकी संस्थान से श्री आयुष जोशी, सहायक प्राध्यापक (सिविल) को निर्देशित किया गया।
02. कार्यस्थल पर उपलब्ध भवन सामग्री रेत का सिल्ट टैस्ट कराये जाने हेतु सैंपल मौके से लेकर महिला प्रौद्योगिकी संस्थान से श्री आयुष जोशी, सहायक प्राध्यापक (सिविल) को निर्देशित किया गया।
03. निर्माणाधीन भवन की बड़ी लागत के दृष्टिगत कार्यस्थल पर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों को तत्काल ही इस्टॉल कराकर प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि कार्यस्थल पर ही आवश्यकतानुसार निर्माण सामग्री की जाँच करायी जानी सम्भव हो सके।
04. निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति द्वारा कार्यस्थल पर उपलब्ध





		<p>स्टील में जंक लगा पाया गया है। इस पर समिति द्वारा कार्यदायी संस्था को स्टील में लगे जंक की अच्छी तरह से सफाई उपरांत ही प्रयोग में लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा भविष्य में स्टील को सुरक्षित ढंग से रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि स्टील को जंक से बचाया जा सके व निर्धारित मानकों के अनुसार ही समस्त निर्माण सामग्री प्रयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>05. कार्यस्थल पर Cast की जा रही कंक्रीट पर दिनांक अंकित की जाय एवं इनकी Curing हेतु क्यारी का निर्माण कर अथवा जूट बोरी रखकर Curing हेतु प्रर्याप्त मात्रा में नमी रखी जाय।</p> <p>06. निर्माण कार्य हेतु प्रयोग की जा रही सीमेंट को भी सुरक्षित स्थान पर रखा जाय।</p>
02	<p>Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2023-24 योजना अन्तर्गत डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलॉम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर में 66 बैडेड महिला छात्रावास हेतु ₹ 575.04 लाख (रु० पांच करोड़ पिचहत्तर लाख चार हजार मात्र ) की लागत से निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा।</p>	<p>भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति द्वारा डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलॉम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर में 66 बैडेड महिला छात्रावास निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी मासिक भौतिक प्रगति का अवलोकन करते हुये निम्न प्रकार निर्देशित किया गया :-</p> <p>01. कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० के बिन्दु संख्या 10 एवं 12 पर अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्राप्त की जाय।</p> <p>02. उक्त निर्माणाधीन भवन में वर्षा जल संरक्षण हेतु प्राविधान किया गया है अथवा नहीं इस सम्बन्धी में जानकारी प्राप्त की जाय।</p> <p>03. भविष्य में आयोजित होने वाली सभी बैठकों में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को अनिवार्य रूप से सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>








७७


03	विश्वविद्यालय के 05 परिसर संस्थानों (पिथौरागढ़ / गोपेश्वर / उत्तरकाशी / सुद्धौवाला एवं टनकपुर) के अनावासीय भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा।	भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति को कुलसचिव द्वारा सभी संस्थानों की वर्तमान वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। पिथौरागढ़ संस्थान हेतु नवीन कार्यदायी संस्था नामित कराये जाने हेतु पुनः शासन को इस अनुरोध के साथ पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया कि नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ के मद्धूरा स्थान मे संस्थान का संचालन इस सत्र से किया जाना प्रस्तावित है एवं स्थानीय जनता के साथ-साथ मा० उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका के आलोक में इस पर प्राथमिकता से कार्यवाही किये जाने हेत अनुरोध किया जाय। उक्त निर्मित भवन में विश्वविद्यालय निधि से रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया जाना है। अतः शासन से शीघ्र ही कार्यदायी संस्था नामित किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय। उक्त के अलावा सभी शेष संस्थानों के निर्माण सम्बन्धी जो भी प्रकरण है उन्हें शीघ्र ही शासन स्तर से स्वीकृत कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।
04	विश्वविद्यालय परिसर में अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा।	शत-प्रतिशत विश्वविद्यालय निधि से महिला छात्रावास निर्माण कराये जाने हेतु शासन स्तर से स्वीकृति लिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। समिति द्वारा विश्वविद्यालय में अपनी निधि से कराये गये निर्माण कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।


अंत में सभी सदस्यों द्वारा मा० कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये भवन निर्माण व परियोजना पर्यवेक्षण समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

  
(प्रो० सत्येन्द्र सिंह) )  
कुलसचिव,  
वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०

  
(बिक्रम सिंह जंतवाल)  
वित्त नियंत्रक  
वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०

  
(प्रो० संजय गैरोला)  
सदस्य, भवन निर्माण व  
परियोजना पर्यवेक्षण समिति  
वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०

  
(अयाज अहमद)  
अध्यक्ष,  
भवन निर्माण व परियोजना  
पर्यवेक्षण समिति  
वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०

  
(प्रो० ओंकार सिंह)  
कुलपति  
वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०